अतिआवश्यक

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 6261/विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2024 भोपाल, दिनांक 01/07/2024

प्रति,

(1) समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र ------------
वि./यां. परिक्षेत्र------------

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंडल/परियोजना मंडल ------------------

(3) समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड ------------------

विषय :- दैनिक वेतन भोगी (स्थायी वर्गीकृत घोषित/स्थाईकर्मी योजना का लाभ प्राप्त) कर्मचारियों द्वारा नियमित सेवा में संविलियन (नियमितीकरण) की मांग को लेकर दायर किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में **''अभ्यावेदन निराकरण आदेश''** का प्रारूप भिजवाने विषयक।

00

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में विभाग में निम्न दो प्रकृति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैः-

(1) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्हें स्थायी वर्गीकृत घोषित कर **''रामनरेश रावत''** प्रकरण के समान पद के नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतनवृद्धि छोडकर) का लाभ दिया गया है।

(2) ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्हें म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र कमांक एफ 5-1/2013/1/3 दिनांक 07.10.2016 द्वारा जारी **''कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिये स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना''** का लाभ दिया गया है।

यह पाया गया है कि दोनों ही प्रकृति के कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबी सेवा अवधि, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 5-3/2008/1/3 दिनांक 16.05.2007 द्वारा जारी नीति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 3595-3612/1999 (सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006 के आधार पर उनका नियमितीकरण किये जाने यानि उनकी सेवायें कार्यभारित स्थापना/नियमित स्थापना में संविलियन किये जाने के प्रकरण दायर किये जा रहे है।

परीक्षण करने के दौरान यह भी पाया गया है कि ऐसे अधिकांश मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा **''उमादेवी (सुप्रा)''** प्रकरण में पारित निर्णय के प्रकाश में, कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत इससे संबंधित अभ्यावेदनों का निराकरण करने के आदेश जारी किये जा रहे है।

1.7.2024

ऐसे ही एक प्रकरण **"खुर्शीद खान एवं 4 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य"** में, जो भोपाल परिक्षेत्र से संबंधित था तथा **जिसमें ऊपर उल्लेखित दोनों ही श्रेणीयों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल थे,** अभ्यावेदन का निराकरण इस कार्यालय द्वारा किया गया है। अभ्यावेदन निराकरण आदेश की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि भविष्य में इस प्रकृति का कोई प्रकरण आपके परिक्षेत्र/मंडल/खंड के अधीनस्थ आता है तो जहां तक संभव हो, अभ्यावेदन का निराकरण इस आदेश प्रारूप के अनुसार ही करने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर होने की स्थिति में समुचित प्रतिरक्षण संभव हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
अभ्यावेदन निराकरण आदेश प्रारूप

1.7.2024

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक /प्र.अ./विधि–/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपी :– सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
अभ्यावेदन निराकरण आदेश प्रारूप

1.7.2024

प्रमुख अभियंता

आदेश नमूना प्रारूप

अति आवश्यक
तत्काल
समय-सीमा

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जलभवन बाणगंगा भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 318/प्र.अ./विधि लो.स्वा.यां.वि./2024 **भोपाल, दिनांक 24/06/2024**

//अभ्यावेदन निराकरण आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन कमांक 14584/2023 (खुर्शीद खान एवं अन्य बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 के परिपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के माध्यम से चाही गई सहायता का निराकरण किया जा रहा है।

1— याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों क्रमशः श्री खुर्शीद खान श्रमिक (स्थाई वर्गीकृत) (राजधानी परियोजना खंड क्रमांक –2, भोपाल), श्री फकरूदीन, श्रमिक (स्थाई कर्मी) (अनुरक्षण खंड भोपाल), सिराजुद्दीन अंसारी, हेल्पर (स्थाई कर्मी) (अनुरक्षण खंड भोपाल), अब्दुल नईम, हेल्पर (स्थाई कर्मी) (अनुरक्षण खंड भोपाल), शिव प्रसाद, हेल्पर (स्थाई कर्मी) (गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड भोपाल) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 14584/2023 दायर कर मा0 उच्च न्यायालय से नियमितीकरण किये जाने की सहायता चाही गई थी।

2— मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 11 अगस्त 2023 के माध्यम से किया गया है। निर्णय निम्नानुसार है :—

> Petitioners are claiming regularization in terms of the law laid down by Hon'ble Supreme Court in case of Secretary, State of Karnataka Vs. Uma Devi, (2006) 4 SCC 1 and the circular issued thereafter by the State on 16.05.2007 and other similar circulars.
>
> In view of the above, this writ petition can be disposed of with a direction to the respondent-competent authority that in case the petitioners file a fresh representation along with certified copy of the order being passed today within 15 days from today then, the respondent-competent authority shall consider and decide the said representation within a further period of 90 days through a speaking order in the light of **State of Madhya Pradesh and others Vs. Centre of Indian Trade Unions and others (LPA No.247 of 2002, decided on 31.01.2004)** and **Irfan Qureshi and others Vs. State of Madhya Pradesh and others (W.P. No.29853 of 2022, decided on 08.02.2023).**
>
> In above terms, this writ petition is disposed of.
>
> It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case.

3— सभी याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा एक ही तरह का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है,

24-6-2024

आदेश नमूना प्रारूप

जिसमें निम्नानुसार मांग की गई है :–

To,

1. General Administration Department,
Through Its A.C.S.
Mantralaya, Bhopal (M.P.)

2. The Chief Engineer,
Public Jealth Engineering Department,
Jal Bhavan, Banganga, Bhopal (M.P.)

3. The Superintending Engineer,
Public Jealth Engineering Department,
Jal Bhavan, Banganga, Bhopal (M.P.)

4. The Engineer In Chief Engineer,
M.P.Public Works Department,
Nirman Bhawan] First Floor,
Plot No. 27-28, Arera Hills,
Bhopal (M.P.)

5. The Superintending Engineer,

Capital Project Administration,
Capital Project Circle,
E-5 Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Subject : - Respresentation in compliance of the order dated 11-08-2023 passed in W.P. No. 14584/2023.

That, Being aggrieved by the aforesaid the undersigned had approached the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh by preferriong a Writ Petition Which stood registered as W.P. No. 14584/2023 The aforesaid Writ Petition was taken up for hearing on 11-08-2023, whereby the Learned Single Judge of the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh has directed the respondents to decide the representation of the undersigned in view of the guidelines laid down by Hon'ble Supreme Court in the case of Uma Devi (supra) and also in light of the judgment passed in Irfan Qureshi and others Vs. State of of Madhya Pradesh and others (W.P. No. 29853 of 2022) within a period of 90 days.

in this view of the matter your esteemed authority may kindly prepare a seniority list and consider the case of the undersigned for regularization, in the Interest of justice. It is prayed accordingly.

4-- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट याचिका कमांक 14584/2023में पारित आदेश दिनांक 11.08.2023 के परिपालन में याचिकाकर्ता कर्मचारियों के अभ्यावेदन के निराकरण के सम्बन्ध में लेख है कि **विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु निम्न**

22.6.2024

आदेश नमूना प्रारूप

दो योजनायें प्रचलित है :–

(i) विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत करने तथा स्थायी वर्गीकरण से सम्बन्धी लाभ देने सम्बन्धी योजना

पी.एच.ई. विभाग में पानी की पाईप लाईन बिछाई जाती है। पानी की टंकियों का निर्माण किया जाता है। हैंडपंप ट्यूबवेल की ड्रिलिंग का कार्य होता है। निर्माण कार्यो के संपादन हेतु बड़ी–बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। विभाग में 100 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्य की प्रकृति एवं कर्मचारियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये विभाग इंजीनियरिंग उद्योग की परिधि में आता है।

राज्य शासन के नोटिफिकेशन 4747 1230–16–ए दिनांक 6 अगस्त 1980 द्वारा म.प्र औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963 को राज्य के सभी उपक्रमों पर लागू किया गया है। विभाग एक उपक्रम है तथा उस पर मानक स्थायी आज्ञाओं के प्रावधान लागू होते हैं।

उपरोक्तानुसार विभाग के इंजीनियरिंग उद्योग की परिधि में आने तथा इसके एक उपक्रम होने के कारण, विभाग पर म .प्र शासन द्वारा श्रमिक विधियों के अंतर्गत बनाये गए **म. प्र ओद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम 1960 एवं म.प्र औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963** काफी पूर्व से ही विभाग पर लागू होते है।

विभाग में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना कोई स्वीकृत पद या पद योग्यता के एवं बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रकिया के कार्य की आवश्यकतानुसार नियोजित कर लिये जाते हैं, उन दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के नियम लागू नहीं होते है, इसलिए उन पर म. प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963 लागू होते है।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित मानक स्थायी आज्ञाएं, जो राज्य शासन के सभी उपक्रमों के लिए बनायीं गयी है, के स्थायी आदेश कमांक 2 में कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं स्थाई कर्मचारी को परिभाषित किया गया है। मानक स्थायी आज्ञाओ के मानक स्थायी आदेश कमांक 2(i) अथवा 2(vi) के अतंर्गत कोई दैनिक वेतन भोगी श्रमिक शर्ते पूरी करता है तो वह स्थाई रूप में वर्गीकृत होता है।

22-6-2014

आदेश नमूना प्रारूप

जहाँ तक दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी वर्गीकृत किये जाने संबंधी कार्यवाही का प्रश्न है, यह सामान्यतः दो प्रकार से की जा सकती है :–

(अ) माननीय श्रम न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण कर, वाद बिन्दु तय कर, उभयपक्षों के साक्ष्य उपरांत श्रम कानून के अंतर्गत आदेश पारित कर किसी दिनांक विशेष से वादी श्रमिक को स्थायी वर्गीकृत घोषित किया जा सकता है।

(ब) मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों/निर्देशों के आधार पर नियोजक द्वारा स्थायी वर्गीकरण का आदेश पारित किया जा सकता है।

म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्मित मानक स्थाई आदेश में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थाई वर्गीकृत किये जाने पर उसे क्या वेतन देय होगा, यह उक्त अधिनियम में प्रावधानित नहीं है। तत्समय दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर किया जाता था।

मान. उच्चतम न्यायालय की अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 में स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को पद के ग्रेडेड वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) देने के आदेश दिए गए थे । उक्त न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन में विभागीय स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनकी उक्त स्टेटस अवधि का पद के ग्रेडेड वेतनमान के न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) के अनुसार भुगतान किया गया है ।

किसी भी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थायी वर्गीकृत करना उसका किसी भी रूप में राज्य शासन की नियमित सेवाओं में नियमितीकरण नहीं है तथा ऐसा करने से उसके स्टेटस में परिवर्तन होने की बजाय वह मात्र कुछ सुविधाओं और बढ़े हुए वेतन का पात्र बनता है, स्टेटस दैनिक वेतन भोगी ही बना रहता है । किसी भी रूप में राज्य शासन द्वारा बनाये गए सेवा नियमो के आधीन नहीं आता है ।

मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 में** माननीय न्यायलय द्वारा अपने पूर्व निर्धारित प्रकरण **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सेक्रेटरी कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006** का हवाला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती

आदेश नमूना प्रारूप

प्रक्रिया के तथा बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किये गए हैं, उनके द्वारा की गई नियमितीकरण की मांग मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।निर्णय निम्नानुसार है :–

3. The case of the appellant is that he was engaged in 1980 as a Supervisor, on daily rated basis, under a project of the State Water Resources Department of Madhya Pradesh. The appellant sought regularization on the post of Supervisor/Time Keeper. Admittedly, the minimum qualification for the said post was matriculation with mathematics; a qualification which the appellant did not possess. These qualifications were relaxed by a Government Circular dated 31.12.2010 and the appellant sought his regularization on the post of Supervisor/Time Keeper, as he was qualified for the post and had been working on daily wage basis for a long period of time. In fact, in another writ petition (W.P. 13997/2010) filed by the appellant earlier, the High Court of Madhya Pradesh vide order dated 02.11.2017, had given directions to the State Government to decide the claim of the writ petitioner in accordance with law. Vide order dated 18.06.2018 issued by the Office of Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, the claim of the appellant for regularization was rejected for the reasons that though the minimum qualifications of matriculation with mathematics will not come in the way for his regularization, but the fact remains that the appellant was never appointed against any post. Moreover, his appointment was never made by the competent authority and there were no posts available at the time for regularization. The appellant on the other hand, had set his claim for regularization as persons who were junior to him as daily wagers were regularized in the year 1990 or even before. The learned Single Judge while allowing the writ petition gave directions for regularization of the appellant from the date on which his juniors were regularized. This order was challenged by the State Government before a Division Bench which allowed the appeal of the State Government. The Division Bench rightly held that the learned Single Judge has not followed the principle of law as given by this Court in **Secretary, State of**

आदेश नमूना प्रारूप

Karnataka and Ors. v. Umadevi and Ors. , as initial appointment must be done by the competent authority and there must be a sanctioned post on which the daily rated employee must be working. These two conditions were clearly missing in the case of the present appellant. The Division Bench of the High Court therefore has to our mind rightly allowed the appeal and set aside the order dated 27.06.2019.

4. In view of the law laid down by the Constitution Bench of this Court in **Uma Devi** (supra), the appellant had no case for regularization. There is no scope, hence, for our interference with the order of the Division Bench of the Madhya Pradesh High Court. Appeal is dismissed.

उपरोक्तानुसार स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हे पद के नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन का लाभ दिया गया है, **उमादेवी (सुपरा)** प्रकरण के आधार पर नियमित स्थापना के पदों पर संविलियन की पात्रता नहीं रखते है ।

(ii)मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के माध्यम से लाई गयी "कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"

पूर्व में म.प्र.शासन के कार्य विभाग (Works Departments) ही म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963 के अंतर्गत आते थे तथा इन विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माननीय श्रम न्यायालयों अथवा प्रशासकीय आदेशों के माध्यम से स्थायी वर्गीकृत घोषित होने के उपरांत उन्हें स्थायी पद का वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता आती थी ।

वर्ष 2016 में, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के माध्यम से सभी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963 के अंतर्गत लाया गया है तथा उनके लिए **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** जारी की गयी है जिसमें नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी की श्रेणी देते हुए उन्हें अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रेणी में विभाजित कर श्रेणीवार वेतनमान

22.6.2021

आदेश नमूना प्रारूप

स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये है। वेतनमान निम्नानुसार है :–

अकुशल श्रेणी	4000–80–7000
अर्द्धकुशल श्रेणी	4500–90–7500
कुशल श्रेणी	5000–100–8000

इस योजना में कर्मचारी को पूर्व की सेवा अवधि की एरियर राशि भुगतान का प्रावधान नहीं रखा गया है बल्कि पूर्व की सेवा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एक वेतनवृद्धि दिए जाने का प्रावधान है।

यद्धपि इस योजना में शामिल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रक्रिया के तथा बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किये गए हैं, तथापि योजना का विस्तार सभी विभागों के सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों तक होने के कारण, राज्य शासन द्वारा इस योजना को अधिक लाभदायक कल्याणकारी और कर्मचारी हितैषी बनाते हुए इसमें शामिल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों अथवा इसका चयन करने वाले स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया **(जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किये जाने पर)** के माध्यम से, नियमित सेवा में संविलियन के अवसर भी उपलब्ध कराये गए है ।

(5)विभाग के स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध विकल्प

विभाग के अधीनस्थ कार्यरत स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु ऊपर उल्लेखित दोनो ही योजनाओं कंडिका 4(i) तथा कंडिका 4 (ii) में सम्मिलित होने के विकल्प खुले हुऐ है किंतु विभाग द्वारा यह नीति अपनायी गयी है कि किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को दोनो योजनाओं का दोहरा लाभ देने के स्थान पर उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर कोई भी एक योजना का लाभ दिया जावे।

विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी **जिन्हें माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय आदेश के माध्यम से स्थाई वर्गीकृत नहीं किया गया है,** उनके लिए मात्र कण्डिका 4 (ii) में उल्लेखित **"कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** का ही विकल्प उपलब्ध है।

आदेश नमूना प्रारूप

(6)याचिकाकर्ता कर्मचारियों के स्टेटस के संबंध में स्पष्टीकरण

याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री खुर्शीद खान श्रमिक (स्थाई वर्गीकृत) (राजधानी परियोजना खंड क्रमांक –2, भोपाल), को कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना खंड क्रमांक –2, भोपाल के प्रशासकीय आदेश क्रमांक 108 दिनांक 31.07.2007 के माध्यम से श्रमिक के पद पर स्थाई वर्गीकृत किया गया है ।

उक्तानुसार उनके पास कंडिका 4(i) तथा कंडिका 4 (ii) में उल्लेखित दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प था । उनके द्वारा कंडिका 4(i) में उल्लेखित योजना का चयन किया गया है ।

याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री फकरूदीन, श्रमिक (स्थाई कर्मी) (अनुरक्षण खंड भोपाल), सिराजुद्दीन अंसारी, हेल्पर (स्थाई कर्मी) (अनुरक्षण खंड भोपाल), अब्दुल नईम, हेल्पर (स्थाई कर्मी) (अनुरक्षण खंड भोपाल), शिव प्रसाद, हेल्पर (स्थाई कर्मी) (गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड भोपाल) को माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय आदेश के माध्यम से स्थाई वर्गीकृत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार वे कण्डिका 4(i) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते है। उन्हें कंडिका 4 (ii) में उल्लेखित **"कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये ''स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** का लाभ दिया गया है। कार्यपालन यंत्री अनुरक्षण खण्ड भोपाल के आदेश कमांक 140 दिनांक 03.0.5.2017 (श्री फकरूदीन), आदेश कमांक 168 दिनांक 27.07. 2017 (श्री सिराजुद्दीन अंसारी), आदेश कमांक 83 दिनांक 20.02.2017 (श्री अब्दुल नईम) एवं कार्यपालन यंत्री गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड भोपाल आदेश कमांक 02 दिनांक 17.01.2017 (श्री शिव प्रसाद) के माध्यम से अकुशल श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है। वे उक्तानुसार लाभ निरंतर रूप से प्राप्त कर रहे है।

(7)याचिका कर्ता कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन के माध्यम से चाहे गये लाभों का निर्धारण

याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612 / 1999 (सेक्रेटरी कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006** एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **रिट याचिका क्रमांक 29853 / 2022 (इरफान कुरैशी एवं अन्य बनाम म. प्र. शासन एवं अन्य) में** पारित निर्णय **दिनांक 08.02.2023** के प्रकाश में उन्हें नियमित सेवा में संविलियन किये जाने की मांग की गयी है।

ऊपर कंडिका 4(i) में उल्लेखित प्रथम योजना में स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी है । मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस. एल.पी. (सिविल) कमांक 10519 / 2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023** के अनुसार श्री खुर्शीद खान श्रमिक (स्थाई वर्गीकृत) की नियमितीकरण की मांग मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

चूँकि याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री फकरूदीन, श्रमिक (स्थाई कर्मी) (अनुरक्षण खंड भोपाल), सिराजुद्दीन अंसारी, हेल्पर (स्थाई कर्मी) (अनुरक्षण खंड भोपाल), अब्दुल नईम, हेल्पर

24.6.2024

आदेश नमूना प्रारूप

(स्थाई कर्मी) (अनुरक्षण खंड भोपाल), शिव प्रसाद, हेल्पर (स्थाई कर्मी) (गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड भोपाल) को ऊपर उल्लेखित दूसरी योजना कंडिका 4 (ii) का लाभ दिया गया है अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य में उनका चयन संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से नियमित पद पर संविलियन हेतु किया जाता है तो उन्हें नियमितिकरण संबंधी लाभ प्राप्त हो सकेंगे ।

संपूर्ण विचारोपरांत वादी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का उक्तानुसार निराकरण किया जाता है।

22.6.2024

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 6002 / प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां.वि. / 2024 **भोपाल, दिनांक** 24/06/2024

प्रतिलिपि :-

1 मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राजधानी परियोजना खंड क्रमांक -2, भोपाल / अनुरक्षण खण्ड /गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

4 श्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजधानी परियोजना खंड क्रमांक -2, / अनुरक्षण खण्ड /गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

22.6.2024

प्रमुख अभियंता